NABARD

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रारम्भ से ही कृषि साख की व्यवस्था में सक्रिय रुचि प्रदर्शित की है। इस उद्देश्य से उसने एक पृथक विभाग की स्थापना भी की है। कालान्तर में रिजर्व बैंक के कृषि साख सम्बन्धी कार्यों तथा दूसरी ओर कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम के पुनर्वित्त सम्बन्धी कार्यों को एक ही संगठन के हाथों में सौंपने के उद्देश्य से 'कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक' (नाबार्ड) की स्थापना 12 जुलाई, 1982 को की गई।

संगठन :→ संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के अन्तर्गत 'नाबार्ड' की स्थापना जुलाई, 1982 में हुई। इसे कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम के समस्त कार्य तथा सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बद्ध भारतीय रिजर्व बैंक के सभी कार्य सौंपे गए हैं। 'नाबार्ड' की आधी शेयर पूंजी रिजर्व बैंक तथा आधी भारत सरकार ने जुटाई है। भारत सरकार को नाबार्ड के केन्द्रीय संचालक मंडल में तीन संचालक मनोनीत करने का अधिकार है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर नाबार्ड के अध्यक्ष होते हैं।

वित्तीय संसाधन :- नाबार्ड की अधिकृत शेयर पूंजी रु० 5,000 करोड़ है। इसकी चुकता पूंजी रु० 100 करोड़ है, जो केन्द्रीय सरकार तथा भारतीय

Scanned with CamScanner

रिजर्व बैंक द्वारा बराबर-बराबर जुटाई गई हैं। बाद में 'नाबार्ड' की चुकता पूँजी बढ़ाकर रु० 500 करोड़। वर्ष 1998-99 में चुकता पूँजी पुनः बढ़ाकर रु० 2000 करोड़ कर दी गई जिसमें रिजर्व बैंक तथा केंद्र सरकार का हिस्सा क्रमशः रु० 1,450 करोड़ तथा 550 करोड़ हो गया। नाबार्ड संशोधन विधेयक 2000 को राष्ट्रपति द्वारा जनवरी 2001 को मंजूरी दे दिए जाने के बाद इस अधिनियम के तहत 'नाबार्ड' की प्राधिकृत पूँजी को रु० 500 करोड़ से बढ़ाकर रु० 5000 करोड़ कर दिया गया।

'नाबार्ड' द्वारा निम्नांकित कार्य किए जाते हैं :—

(i) समन्वित ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'नाबार्ड' कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, दस्तकारियाँ एवं ग्रामीण शिल्प तथा इनसे सम्बद्ध आर्थिक क्रियाओं हेतु समस्त प्रकार के उत्पादन एवं निवेश साख के लिए पुनर्वित्त प्रदायक संस्था के रूप में कार्य करता है।

(ii) सहकारी साख समितियों की शेयर पूँजी में अंशदान करने के लिए यह राज्य सरकारों को यह दीर्घकालिन ऋण प्रदान करता है।

(iii) यह राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंकों, भूमि विकास बैंकों एवं भारतीय-निर्यात बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थाओं को सहायता प्रदान करना है।

(iv) यह भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी संस्था को दीर्घावधि ऋण प्रदान कर सकता है।

(v) यह लघु उद्योगों, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों तथा हस्तकारियों के विकास से सम्बन्धित केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी योजना आयोग द्वारा अखिल भारतीय एवं राज्य स्तर की उन्हीं संस्थाओं की क्रियाकलापों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है।

समाप्त

Scanned with CamScanner